


फर्द अहकाम

कैलाश बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्या: 495/25

क्र.सं.	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत नाम शुद्धिकरण पेश किया। पत्रावली में सलंगन दरस्तावेजात् का मनन एवं अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम अवानिया पटवार मण्डल अवानिया तहसील सांगानेर में स्थित खाता संख्या 115 में अंकित खातेदार कैलाशचन्द्र पुत्र गोविन्दा के स्थान पर कैलाश पुत्र गोविन्दा दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (हिम्मत सिंह) आर..ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय(सांगानेर) जयपुर</p>	